Government of India
Ministry of Shipping
(Ports Wing)

....

Transport Bhawan
1, Parliament Street
New Delhi - 110001

No. LB-13018/2/2012-L

Dated, 28th July, 2015

सचिव का कार्यालय
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
627
1 AUG 2015
आवक क्र. 6188

To

The Chief Administrative Officer
Indian Ports Association
Bhishm Pitamah Marg
Lodi Road
New Delhi - 110003

Sub: **Publication of the notification of Mumbai Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 2012**

Sir,

You are requested to provide a vehicle in connneciton with the delivery of the corrected copy of the aforesaid Notification to Govt. of India Press, Mayapuri, New Delhi today. The expenditure in this regard will be met by Mumbai Port Trust.

Yours faithfully,

(Jagdish Prasad)
Section Officer (Labour)
Telefax: 011-23714864

Copy to:-

The Secretary, Mumbai Port Trust.

{TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II SECTION 3 (i)}

Government of India
Ministry of Shipping
(Ports Wing)

....

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2015

G.S.R. - In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 124 read with sub-Section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Mumbai Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 2012, made by the Board of Trustees for the Mumbai Port Trust in exercise of powers conferred on them by section 123 of the said Act, as detailed in the schedule annexed to this Notification.

2. The said Notification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

(N. Muruganandam)
Joint Secretary to the Government of India
(F.No. LB-13018/2/2012-L

Mumbai Port Trust

SCHEDULE

Mumbai Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 2012

1. **SHORT TITLE**:

(1) These regulations may be called Mumbai Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the day on which the Central Government's approval thereto shall be published in the official gazette.

2. **DEFINITIONS**:

In these regulations, unless the context otherwise requires -

(i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963.

(ii) "Board" means the Board of Trustees of the Port of Mumbai as constituted under the Act.

(iii) "Chairman" means Chairman of the Board of Trustees.

(iv) "Dock Labour Board" means the Mumbai Dock Labour Board constituted under the Dock Workers' Regulations of Employment Act, 1948 (Act 9 of 1948).

(v) "**Traffic** Manager" means the officer for the time being in charge of **Traffic** Department and includes the Deputies and Assistants to the **Traffic** Manager and any other officers acting under the authority of the **Traffic** Manager.

(vi) "Stevedore" **is an authorized agent** to whom a stevedoring licence has been given under Regulation 4 **for loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Port.**

3.1 The Chairman may, on application, issue stevedoring licence for a period of **three** years or such shorter period as he may consider proper, **to a company registered under Companies Act or a Partnership Firm or any other legal entity,** to perform the work of landing and shipping of goods between vessels in the Port and the wharves, piers, quays or docks belonging to or in the possession of the Board and any other work involved in stevedoring in the Port. **The vessel owners/vessel operators/steamer agents, the BOT terminal operator and importers and exporters would also be eligible for grant of licence.**

3.2 No stevedore shall be allowed to work on board any vessel in the Port except under such licence.

3.3 No licence to work as a stevedore shall be granted unless the applicant **produces**-

(a) evidence that a Shipping Company/Charterer of Ship/Owner of cargo be prepared to enter into a contract for stevedoring with him.

(b) evidence that he has maintained/would maintain the input/output norms of handling different commodities as may be laid down from time to time.

(c) proof of his financial stability to meet the obligation to labour and staff employed on account of wages and compensation under Workmen's Compensation Act, 1923, the payment of Wages Act, 1936, the Industrial Dispute Act, 1947 and/or any other law in force at that time.

(d) **proof of having** in his employment **at least 4 Supervisory Personnel with** minimum **two years of cargo handling/stowage**

experience and have in his possession such minimum gear and equipment as may be specified by the Board from time to time.

(e) a Bank Guarantee for Rupees **Five** Lakh**s** so as to meet any contingency.

4. **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A STEVEDORE :**

During the currency of a stevedoring licence issued by the Chairman the following obligations and responsibilities shall be fulfilled by the Stevedore, viz.

(1) He shall be responsible for the due observance and performance by all staff and labour employed by him during the operation of landing and shipping or transhipping goods or work incidental thereto of the provisions in all the relevant acts, rules, regulations and orders relating to such operations for the time being in force.

(2) He shall ensure that all such operations conform in all respects to the requirements prescribed by the rules and regulations and schemes framed under the Dock Workers (Regulations of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) or any other law in force from time to time.

(3) Such operations shall be carried out with his own gear, or gear arranged by him.

(4) He shall be solely responsible for any accidents or damage resulting from the use of defective gear.

(5) He shall comply with all accepted safe practices in relation to such operations.

(6) He shall indemnify the Board against all third party claims arising out of such operations.

(7) Whenever the Board has to pay compensation to any of its employee or workman **whether registered or otherwise** or his dependents under the provisions of the Workmen's Compensation Act, in consequence of any accident arising out of and during the course of work performed by a stevedore or any employees or workers employed by him for the time being, the stevedore shall reimburse the Board any sum so paid. For such purpose, the amount of the compensation as determined under the Workmen's Compensation Act shall be taken as binding and conclusive as between the Board and the Stevedore.

(8) Whenever casual workers are deployed, the stevedore should ensure that such workers are covered by the Insurance Policy.

(9) If any gear, plant or other property of the Board is damaged in the course of any such operation, the stevedore shall compensate the Board for such loss or damage, the extent of such compensation being decided by the Chairman.

Note: For the purpose of sub-regulation 7 above, the term employee or worker shall include a registered or casual worker of the Dock Labour Board.

(10) Every stevedore shall employ at least one experienced Foreman and Tindal to superintend the loading or unloading of cargo or bunkering at each hatch-way at which loading/unloading or bunkering is being carried on. The Tindal shall supervise the slinging or unslinging of goods in the hold and whenever a vessel is loading cargo in between decks alone, shall see that the between-deck hatches that are provided with cross beams and fore and aft beams have all such beams fixed in their proper places, and that the hatch covers are properly put on and effectively secured to prevent their displacement before commencing the work; the Foreman shall remain on deck and see that the crane chain is not taken out of the square of the hatch-way, and that the hook does not catch the coamings or foul any of the ship's gear or damage any structure or erection ashore. The Foreman shall give correct signals to the crane driver and shall superintend the taking off and putting on the beams and hatch covers and shall see that persons keep out of danger on deck and do not stand under any hoist. It shall also be the duty of the Foreman when work is stopped for the day or night, to search and satisfy himself that no one is remaining in the hold and the stevedore shall be solely responsible to the owners of the ship and to the Board in the event of any injury or damage being caused to any person or property in the course of loading, unloading or bunkering operations.

(11) The stevedore shall submit promptly any information asked for by the Chairman or the **Traffic** Manager from time to time.

(12) The stevedore shall ensure that all the dues of the Board and the Dock Labour Board are paid **in advance**. His licence shall not be renewed unless such dues have been settled in full.

(13) He shall provide for adequate supervision over the workers employed by him to ensure that maximum productivity is ensured consistent with requirements of safety.

(14) He shall provide all the gears, equipment (duly tested and found suitable for the various types of cargoes), protective equipments and safety appliances required for the various types of cargo and produce all items and gears for inspection with necessary annealing and test certificates periodically or when demanded by the Inspector, Dock Safety, or any officer of the **Traffic** Department or the Dock labour Board.

(14a) He shall provide the workers necessary protective safety appliances appropriate for the type of cargo.

(15) He shall ensure that the workers are available at the work spot throughout the shift period, except during the recess hours and render the normal output of approved standards as prescribed by the Board or the Dock Labour Board.

(16) He shall take immediate and effective steps to improve the performance whenever the output falls below the prescribed standards.

(17) He shall make adequate arrangements, for ancillary operation such a filling, stitching and breaking of cargo, stacking of cargo, storage of cargo, etc. on board vessels.

(18) He shall handle such tonnage during a specified period as may be prescribed by the Board from time to lime.

(19) He shall be regular in payment of his contribution to the Provident Fund in accordance with the Mumbai Dock Labour Board's Employees Provident Fund Rules and in payment of dues to the Labour. He shall not infringe any rules relating to the hiring of labour from the said Board.

(20) He shall undertake to pay the workers engaged by him wages in accordance with the terms of wage settlement arrived at between the appropriate authority and the Federations of Port and Dock Workers from time to time.

(21) He shall not assign, transferer or in any manner part with any interest or benefit in or under the licence to any other person without prior approval in writing of the Chairman.

5. **SUBMISSION OF APPLICATION**

(i) The application for grant/renewal of a stevedoring licence shall be made in Form 'A'.

(ii) The applicant shall pay a licence fee of **Rs.50,000** or such fee as may be **decided** by the Chairman from time to time before the licence is issued or renewed. Every licenced stevedore shall deposit a sum of **Rs.50,000** as Earnest Money for the proper performance of the work permitted under the licence. The Earnest Money shall not carry any interest and will be refunded when the licence ceases to operate after adjusting claims, if any, to the Board

(iii) Every licence granted or renewed under these regulations shall be in Form 'B'.

(iv) Applications for renewal of the licence shall be made at least three months before the expiry of the licence. If an application for the renewal is not received within the stipulated period, the application may be accepted on payment of a late fee of **Rs.500** for each day of delay, or such fee as may be prescribed by the Chairman from time to time, provided the application for renewal, together with such late fee is received by the **Traffic** Manager before the actual date of expiry of the licence.

(v) In the event of loss or defacing of the original licence, the stevedore may apply to the **Traffic** Manager for a duplicate licence **alongwith a copy of police complaint and** on payment of **Rs.1000.**

6. The stevedore-shall comply with such instructions as maybe issued from time to time by the **Traffic** Manager in the interests of safety, improved productivity and labour discipline.

7. The stevedore shall not make payment of any illegal **gratification** by whatever name called or any form of illegal inducement to any worker.

8. (a) Any firm or company holding a stevedoring licence shall immediately communicate to the **Traffic** Manager any change in Director, Managing Director or Partners as the case may be.

(b) Any change in the name title or constitution of a firm or a company holding stevedoring licence shall be communicated to the **Traffic** Manager forthwith. The firm or company undergoing such change shall submit a fresh application for the grant of licence provided that the **Traffic** Manager may with the sanction of the Chairman allow the firm or company to carry on business till such time as a decision is taken on such fresh application. The fresh licence required to be issued, in such cases, will, however, attract the same charges as are payable for the issue of a new licence.

9. The Chairman shall report any violation of the terms and conditions of the stevedoring licence by the stevedore to the Government and may pending enquiry, suspend for a period not exceeding three months, licence issued to the stevedore if he finds it expedient and necessary to do so in the interest of the Port.

10. The Chairman may at any time suspend for such a period as he may deem fit or cancel the licence issued to stevedore for violation of any of the terms of licence or for any of the reasons listed below.

(iii) Violation of safety **regulations & Mandatory Dock Safety Measures**,

(ii) The firm handles less than the minimum guaranteed throughput / the prescribed parameters as fixed by the port.

(iii) Lack of supervision over the stevedoring work.

(iv) **Adopts** improper and unsafe handling of packages.

(v) Misrepresentation or mis-statement of **material** facts.

(vi) Stevedore being adjudged insolvent or going in liquidation causing obstruction to any work in the Port.

(vii) **Transfers the Stevedoring operations or Sublets the licence** to any other individual or party.

(viii) Making payment of illegal gratification by whatever name called or in form of illegal inducement to the workers.

(ix) **Any** Misconduct which in the opinion of the **Board** warrants such cancellation or suspension.

(x) Violates security related rules & instructions like ISPS code compliance etc.

(xi) Indulges in illegal / corrupt practices.

(xii) The CEO of the Stevedoring Firm has been convicted by the Court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

Provided that no such licence shall be cancelled or suspended, as the case may be, until holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his licence should not be cancelled or suspended as the **case** may be.

11. A licence shall be cancelled, if after the grant thereof it is discovered that the application for licence contained any misrepresentation of material facts or if the licencee shall have been adjudged insolvent or shall have gone into liquidation, as the case may be.

12. Upon these regulations coming into force the Docks Bye Law Nos.66,66A and 67 of the Bombay Port Trust Docks Bye Laws shall stand repealed

13. APPEAL:

(1) Any person aggrieved by any order under these regulations may prefer an appeal, in writing to the **Chairman or any other higher authority** within thirty days of the communication of the order appealed against

(2) The **Chairman or any other higher authority** shall pass such order on the appeal as it deems fit after giving an opportunity of being heard to the appellant.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation 1, an appeal may be admitted after the period of thirty days if the appellant satisfies the **Chairman or any other higher authority** that he had sufficient cause for not making an application within such period.

14. DEPLOYMENT OF WORKERS FROM PORT /DLBS/ LICENSE HOLDER OR OUTSIDE

In case the Port is unable to supply the requisite workers against the requisition placed by the Stevedores, the Port may allow the Stevedores to make their own arrangement for this purpose, subject, inter-alia, to their agreeing to pay at least the minimum wages that the Board may fix from time to time for the purpose.

15. TRAINING, USE OF MODERN TECHNOLOGY

The personnel deployed in stevedoring activities shall be trained in modern methods of cargo handling for improving the productivity, efficiency and safety.

16. Notwithstanding anything contained in these Regulations, Stevedoring licences that may be in force on the date of issue of these Amendment Regulations shall be deemed to have been issued under these Regulations and shall continue to be valid till the expiry of the period of such licences.

17. Repeal and Saving:-

The Bombay Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 1979 read with the Bombay Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Amendment Regulations, 1989 are hereby repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Bombay Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 1979 and the Bombay Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Amendment Regulations, 1989 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

FORM 'A'

MUMBAI PORT TRUST
[See Regulation 6(i)]
APPLICATION FOR GRANT / RENEWAL OF STEVEDORING LICENCE

1. Name of the firm/individual (Article of Ownership / partnership to be produced for the grant of fresh licence) :

2. Full Address :

3. Year/s for which licence is required :

4. Whether the applicant has entered into a contract with Vessel owners/Charterer of ships/owner of cargo for stevedoring the vessels calling at this Port (Proof of contract for the period to be produced) :

5. Financial capability (Proof of financial capability to meet the obligations to labour on account of wages and compensation under Workermen's Compensation Act etc. from their Bankers to be produced in the case of grant of fresh licence) :

6. Whether the applicant is willing to acquire / maintain minimum gear prescribed under the Regulations (list of minimum gear is to be furnished). :

7. Whether the applicant is willing to employ/has in his employment such minimum staff prescribed under the Regulations (minimum requirement of staff furnished in the list attached. Details of staff employed shall be furnished) :

8. Previous experience in the field :

9. Whether the applicant has cleared all the dues on account of transactions he had with the Mumbai Port Trust (Clearance certificate to be produced) :

10. Whether licence fee has :

been paid. If so, the receipt should be produced (payment of licence fee in case of renewal shall be made in advance under the Rules)

I agree to pay on advice the fee prescribed for the grant of fresh Stevedoring Licence.

If the Licence is granted/renewed, I will abide by the Regulations, Rules and Conditions as may be prescribed or comply with any other directions issued from time to time by the Mumbai Port Trust.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

Place : Mumbai

Dated :

(a) The applicant shall furnish/produce any other information or records as may be required by the Mumbai Port Trust to consider his request for the grant of licence.

(b) The grant of licence shall be entirely at the discretion of the Mumbai Port Trust.

(c) The applicant should fulfill the requirements at items (6) and (7) before the grant of the licence.

(d) While applying for the grant of fresh licence or renewal of licence, the applicant may strike off the words/lines whichever not applicable.

Form 'B'

MUMBAI PORT TRUST
[See Regulation 6(iii)]
LICENCE TO STEVEDORE VESSELS IN THE DOCKS

NOT TRANSFERABLE

Year _________20 -20

No._______

This is to Notify that ____________________________________

____

__ carrying on business in the firm name and style of ______________________

____

__ Stevedore in accordance with the Mumbai Port Trust (Licencing of Stevedores and Allied Matters) Amendment Regulations, 2012 is/are hereby licenced by the Chairman, Mumbai Port Trust, as Stevedore in discharging and loading, stuffing and destuffing of cargoes upto ____ but subject to and in conformity with the Docks Regulations in force from time to time and the provisions of the Mumbai Port Trust (Licencing of Stevedores and Allied Matters) Amendment Regulations, 2012 and subject to the conditions mentioned hereinbelow.

TRAFFIC MANAGER
MUMBAI PORT TRUST

Date_______

Conditions: Stevedores in their capacity as Employers shall be held responsible for non-performance/malfeasance/misfeasance by their Supervisory staff and work people. Any infringement or disregard of any kind of the provisions of the Docks regulations, Stevedoring Regulations shall be viewed seriously and penalties shall be imposed which may include suspension/withdrawal of licence.

2. The provisions regarding the employment of young persons covered by Employment of Children Act, 1938 and the Factories Act, 1948 and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 and The Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Regulations 1990 as from time to time amended wherever they may be applicable shall be fully complied with.

3. The licence may be cancelled or suspended if the Stevedores commits default in payment of his contribution to the Provident Fund in accordance with the Mumbai Port Trust Employees' Provident Fund Rules or commits default in payment due to labour or infringes any rules relating to indenting of labour from Mumbai Port Trust or fails to pay wages at a rate not less than the minimum of the Wage Revision Committee scales as accepted by the Central Government applicable to the respective categories or commits breach of the instruction of the Traffic Manager, MbPT or any of his subordinate Officers relating to the use of gear or fails to provide protective equipment to labours/supervisory staff for handling Hazardous cargo as required by law.

4. The Licensee shall ensure that he has on his roll minimum supervisory staff employed on the basis of manning scale fixed by the MbPT from time to time. He shall engage workers and Supervisory staff in accordance with agreement arrived at from time to time between Unions and MbPT.

5. The Stevedore shall comply with the norms fixed by the Port from time to time in discharging/loading of vessels.

6. The Licensee shall ensure that all loading and unloading operations are carried out with the prescribed/proper gear and they shall have to be equipped with

minimum gear and equipments as per norms fixed, depending upon the type of cargoes handled by each Stevedore. He shall be held responsible for any accident or damage resulting from use of defective gear.

7. The Licensee shall comply with such instructions as may be issued from time to time by the Traffic Manager in the interest of safety, improving productivity, discipline and efficiency of operations.

8. Performance below productivity norms fixed by the Traffic Manager may entail the ships being taken out of the Docks and further may call upon penal action against the Licensee. The Licensee shall strictly comply with the provisions of the Mumbai Port Trust (Licencing of Stevedores and Allied Matters) Amendment Regulations, 2012.

TRAFFIC MANAGER
MUMBAI PORT TRUST

Date_______

{भारत के राजपत्र असाधारण भाग ।। खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)

.....

दिनांक 21 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सा.का.नि .... महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतत् द्वारा मुंबई पत्तन न्यास के लिए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा न्यासी मंडल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए मुंबई पत्तन न्यास (स्टीवडोर्स को लाइसेसिंग और संबंधित मामले) विनियम, 2012 को इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विवरण के अनुसार संशोधन सहित अनुमोदन प्रदान करती है।

भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कथित अधिसूचना प्रभावी होगी।

(एन. मुरूगानन्दम)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फा. सं. एलबी–13018/2/2012–एल)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोर्स का अनुज्ञप्तिकरण तथा संबंधित मामले) विनियम, 2012.

1. संक्षिप्त शीर्षकः

(1) ये विनियम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोर्स का अनुज्ञप्तिकरण तथा संबधित मामले) विनियम 2012 कहलाए जाएँ.

(2) जिस तिथि को इन विनियमों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी, उस तिथि से ये विनियम लागू होंगे.

2. परिभाषाएँ
इन विनियमों में; जब तक कि, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

(i) "अधिनियम" अर्थात, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963.

(ii) "मंडल" अर्थात, मुंबई पत्तन का उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यासी मंडल

(iii) "अध्यक्ष" अर्थात, न्यासियों के मंडल के अध्यक्ष

(iv) "गोदी श्रमिक मंडल" अर्थात रोजगार अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम 9) के गोदी मजूदरों के विनियमों के अंतर्गत गठित मुंबई गोदी श्रमिक मंडल.

(v) "यातायात प्रबंधक" अर्थात, यातायात विभाग का विद्यमान प्रभारी अधिकारी, जिसमें यातायात प्रबंधक के उप अधिकारी, सहायक अधिकारी और यातायात प्रबंधक के प्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले अन्य कोई अधिकारी भी समाविष्ट होंगे.

(vi) "स्टीविडोर" वह प्राधिकृत एजंट है, जिसे पोर्ट में रुके जहाज पर/से किसी भी स्वरुप के पोतभार के लदान, उतारने और गोदाम में रखने के लिए विनियम 4 के अंतर्गत स्टीविडोरिंग अनुज्ञप्ति दी गई है.

3.1 कंपनियों के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या साझेदारी फर्म या किसी अन्य वैध संस्था को, पत्तन में रुके जहाज और मंडल के या मंडल के कब्जे में होनेवाले घाटों, पिअरों क्वे या गोदियों के बीच पोतभार उतारने और लदान का काम करने और पत्तन में स्टीविडोरिंग से संबधित अन्य कोई काम करने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होनेपर अध्यक्ष उचित समझें तो, तीन वर्ष या ऐसी कम अवधि के लिए स्टीविडोरिंग अनुज्ञप्ति दे सकते है. जहाज के मालिक/जहाज प्रचालक/स्टीमर एंजट्स, बीओटी टर्मिनल प्रचालक, आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता भी अनुज्ञप्ति देने के लिए पात्र होंगे.

3.2 ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना किसी भी स्टीविडोर को पत्तन में रुके किसी जहाज पर जाकर काम करने की अनुमति नहीं होगी.

3.3 आवेदक द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किए जाने पर ही उसे स्टीविडोर के रुप में काम करने की अनुज्ञप्ति दी जाएंगी.

(ए) कोई शिपिंग कंपनी/जहाज का अवक्रेता/पोतभार का मालिक उन स्टीविडोर के साथ करार करने के लिए तैयार होने का प्रमाण.

(बी) विभिन्न प्रकार के पोतभार की सम्हलाई के लिए समय–समय पर निर्धारित किए गए माल के लदान/उतारने के मानदण्डों का अनुपालन उन्होनें किया है/वे करेंगे इस बात का प्रमाण.

(सी) मजदूरों के क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, वेतन के भुगतान के अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; और/या उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत नियुक्त किए गए मजदूरों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा क्षतिपूर्ति के व्यय के दायित्व को निभाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिरता का प्रमाण.

(डी) उनके कर्मचारियों में, पोतभार सम्हलाई/भण्डारण का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होनेवाले कम से कम चार पर्यवेक्षी कर्मचारी होने तथा मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई न्यूनतम संख्या के अनुसार गीअर और उपकरण उनके पास होने का प्रमाण.

(ई) किसी आकस्मिक व्यय के निपटान के लिए पाँच लाख रुपयों की बैंक गारंटी.

4. <u>स्टीविडोर के कर्तव्य और उत्तरदायित्त्व</u>

अध्यक्षजी द्वारा प्रदान की गई स्टीविडोरिंग अनुज्ञप्ति के प्रचलन के दौरान स्टीविडोर निम्न बाध्यताओं एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन करें:–

(1) पोतभार के उतारने , लदान या नौकान्तरण के प्रचालनों या ऐसे प्रचालनों से संबंधित फिलहाल लागू होनेवाले सभी संबधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और आदेशों की धाराओं के अनुसार किसी प्रासंगिक कार्य के दौरान उनके द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों तथा मजदूरों द्वारा यथावत अनुपालन एवं कार्यनिष्पादन के लिए वह उत्तरदायी होंगे.

(2) वह सुनिश्चित करेंगे कि, इस प्रकार के सभी प्रचालन, गोदी मजदूरों के (रोजगार विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) या समय–समय पर प्रचलित अन्य किसी कानून के अंतर्गत होनेवाले नियमों, विनियमों एवं योजनाओं द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं के अनुसार हों.

(3) इस प्रकार के प्रचालन उनके अपने गीअरों या उनके द्वारा प्रबंध किए गए गीअरों से किए जाएँ.

(4) सदोष गीअर का उपयोग करने के कारण हुई दुर्घटनाएँ या हानि के लिए केवल वे उत्तरदायी होंगे.

(5) इस प्रकार के प्रचालनों से संबंधित सभी स्वीकृत सुरक्षित कार्यविधिओं का वे अनुपालन करें.

(6) इस प्रकार के प्रचालनों से निर्मित थर्ड पार्टी के सभी दावों से वे इस मंडल को सुरक्षित रखेंगे.

(7) किसी स्टीविडोर या उनके द्वारा किसी समय हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों या मजदूरों द्वारा किए गए काम के दौरान या काम के कारण घटी दुर्घटना के परिणामस्वरुप, मजदूरों के क्षतिपूर्ति अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अगर मंडल को अपने पंजीकृत या अन्य कर्मचारी या मजदूर या उनके अवलम्बितों को क्षतिपूर्ति देनी पडे तो, इस प्रकार मंडल द्वार दी गई राशि की स्टीविडोर प्रतिपूर्ति करेंगे. इस हेतु, मजदूरों के क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि मंडल तथा स्टीविडोर को बाध्यकारी एवं निर्णायक होगी.

(8) जब अनियत मजदूर पुनर्नियुक्त किए जाएँ, तब स्टीविडोर यह सुनिश्चित करें कि, ऐसे मजदूरों को बीमा पॉलिसी द्वारा संरक्षित किया गया है.

(9) अगर ऐसे काम के प्रचालन के दौरान मंडल के कोई गीअर, प्लान्ट या अन्य सम्पदा को हानि पहुँचे, तो ऐसे नुकसान या हानि के लिए स्टीविडोर मंडल को क्षतिपूर्ति देंगे और क्षतिपूर्ति की राशि अध्यक्षजी द्वारा निर्धारित की जाएगी.

टिप्पणी: उपरोक्त उप–विनियम 7 हेतु, कर्मचारी या मजदूर शब्द में गोदी श्रमिक मंडल के पंजीकृत या अनियत मजदूर भी समाविष्ट होंगे.

(10) हर स्टीविडोर, हर एक हॅच–वे पर जहाँ माल के लदान /उतारने या बंकरिंग का काम जारी हो, वहाँ पोतभार के लदान या उतारने या बंकरिंग के काम के पर्यवेक्षण के लिए कम से कम एक अनुभवी फोरमन या टिंडल नियुक्त करेगा. टिंडल, होल्ड में माल के स्लिंगिंग या अनस्लिंगिंग का पर्यवेक्षण करेगा और जब जहाज पर बीच के डेक्स पर लदान हो रहा हो, वहाँ ध्यान रखेगा कि, क्रॉस बीम्स तथा अगले और पिछले बीम्स के साथ होनेवाले बीच के डेक्स के हॅचेस, एवं ऐसे सभी बीम्स काम शुरु करने से पहले अपने यथोचित स्थान पर रखे गए हैं, और प्रभावी रुप से सुरक्षित किए गए हैं. फोरमन डेक पर रहेगा और यह ध्यान रखेगा कि, क्रेन की चेन हॅच–वे के चौरस से बाहर न आ जाए और हुक जहाज के अडवाल को पकड न ले या जहाज के किसी गिअर को या किनारे पर होनेवाले किसी ढाँचे को या किसी इमारत को हानि न पहुँचाए. फोरमन, क्रेन चालक को सही सिग्नल्स देगा और बीम्स एवं हॅच कव्हरों को निकाल लेने तथा रख देने का पर्यवेक्षण करेगा, यह भी ध्यान रखेगा कि, डेक पर खडे लोग सुरक्षित हों और किसी हॉइस्ट के नीचे खडे न रहें. फोरमन का यह भी कर्तव्य होगा कि, दिन में या रात में जब काम बंद किया जाता है. तब होल्ड पर कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया है, इसकी खुद का समाधान होने तक तलाश करे. माल के लदान, उतारने या बंकरिंग प्रचालनों के दौरान किसी व्यक्ति या संपदा को क्षति पहुँचे या हानि हो जाए तो केवल स्टीविडोर ही जहाज के मालिक या मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा.

(11) अध्यक्ष या यातायात प्रबंधक द्वारा समय–समय पर माँगी गई जानकारी स्टीविडोर तुरन्त प्रस्तुत करेंगे.

(12) स्टीविडोर यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड और डॉक लेबर बोर्ड की सभी राशियों का अग्रिम भुगतान किया गया है. जब तक इन राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, उनके लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

(13) वे उनके द्वारा काम पर लगाये गये कामगारों को पर्याप्त पर्यवेक्षण देंगे ताकि बिना रुकावट अधिकतम उत्पादकता और सुरक्षा आवश्यकतायें सुनिश्चित हो सके.

(14) वे विभिन्न प्रकार के मालों के लिए अपेक्षित बचाव उपकरण और संरक्षा सामान (पूर्ण रपेण परीक्षण किये और विभिन्न प्रकार के मालों के लिए उपयुक्त पाये गये) सभी प्रकार के गीअर और उपकरण प्रदान करेंगे और सभी सामान और गीयर निरीक्षक, डॉक सेफ्टी अथवा यातायात विभाग अथवा डॉक लेबर बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अथवा समय–समय पर आवश्यक मजबूती और परीक्षण प्रमाणपत्र निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगे.

(14ए) वे माल के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त आवश्यक बचाव संरक्षा सामान कामगार को उपलब्ध करेंगे.

(15) वे सुनिश्चित करेंगे कि कामगार भेजनावकाश काल छोड़कर पूरी पाली के दौरान कार्य स्थल पर उपस्थित रहें और बोर्ड अथवा डॉक लेबर बोर्ड द्वारा निर्धारितनुसार अनुमोदित मानक का सामान्य उत्पादन प्रस्तुत करे.

(16) वे निर्धारित मानकों से कम उत्पादन होने पर कार्य में सुधार के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठायेंगे.

(17) वे जहाज के उपर प्रारंभिक कार्य के लिए जैसे माल भराई, सिलाई और माल खोलने, माल संग्रहण और माल भंड़ारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे.

(18) वे निश्चित अवधि के दौरान उतने टनभार का सम्हलाई करेंगे, जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित होगा.

(19) वे मुंबई डॉक लेबर बोर्ड कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि नियम के अनुसार भविष्य निर्वाह निधि में उनके अंशदान का भुगतान और कर्मचारियों को देय राशियों का भुगतान निरंतर करेंगे. वे कथित बोर्ड से कामगारों को भाडे पर लेने संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे.

(20) वे समय–समय पर उचित प्राधिकारी और पोर्ट एवं डॉक वर्कर्स फेडरेशनके बीच संपन्न वेतन समझौता नियमों के अनुसार उनके द्वारा लगाये गये कामगारों के वेतनों के भुगतान का उत्तरदायित्व लेंगे.

(21) वे अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बगैर लायसेंस में अथवा उसके अधीन कोई भी हित अथवा फायदा किसी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौपेंगे, स्थानान्तरित करेंगे.

5. <u>आवेदन प्रस्तुत करना</u>

(i) स्टीविडोर लायसेंस की मंजूरी /नवीनीकरण के लिए आवेदन फार्म 'ए' में किया जाएगा.

(ii) आवेदक लायसेंस जारी करने अथवा नवीनीकरण के पहले 50,000 रुपये का लायसेंस शुल्क अथवा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारितनुसार शुल्क का भुगतान करेंगे. वे प्रत्येक लायसेंस धारी स्टीविडोर लायसेंस के अधीन उल्लिखित कार्य के उचित निष्पादन के लिए बयाना राशि के रूप में 50,000/– रुपये की राशि जमा करेंगे.बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा और उस राशि को कार्य के लिए लायसेंस समाप्त होने पर बोर्ड के किसी दावे के समायोजन, यदि कोई हो, के बाद वापस लौटाया जाएगा.

(iii) विनियमों के अंतर्गत मंजूर /नवीनीकृत प्रत्येक लायसेंस फार्म 'बी' में होगा.

(iv) लायसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन लायसेंस समाप्त होने के कम से कम तीन महीने पहले किया जाएगा. यदि नवीनीकरण के लिए लायसेंस निर्धारित अवधि के अंदर नही प्राप्त हाते हैं तो विलंब के लिए प्रतिदिन 500 रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर अथवा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारितनुसार शुल्क पर स्वीकार किया जा सकता है. बशर्ते कि नवीनीकरण आवेदन और साथ में उचित विलंब शुल्क लायसेंस की समाप्ति की वास्तविक तिथि से पहले यातायात प्रबंधक को प्राप्त हो.

(v) मूल लायसेंस के खोने अथवा खराब होने पर स्टीविडोर 1000/– रुपये भुगतान करके दूसरे लायसेंस के लिए यातायात प्रबंधक को आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ उन्हें पुलिस में शिकायत की प्रति लगाना करेंगे.

6. स्टीविडोर सुरक्षा हितों, सुधारित उत्पादन और कामगार अनुपालन के संबंध में समय–समय पर यातायात प्रबंधक द्वारा जारी उचित अनुदेशों का पालन करेंगे.

7. स्टीविडोर किसी का नाम बताकर कोई गैर कानूनी पारितोषिक राशि का भुगतान नहीं करेंगे और किसी मजदूर को गैर कानूनी तरीके से बहकाने का कोई कार्य नहीं करेंगे.

8. (क) स्टीविडोर लायसेंस धारी फर्म अथवा कम्पनी के डायरेक्टर , प्रबंध निदेशक अथवा सहभागियों, जैसे मामले में बदलाव होने पर इसकी सूचना तत्काल यातायात प्रबंधक को देंगे.

(ख) स्टीविडोर को लायसेंस धारी फर्म अथवा कम्पनी के नामशीर्ष अथवा संविधान में कोई बदलाव होने पर तत्काल यातायात प्रबंधक को सूचित करना होगा. कम्पनी और फर्म में हो रहे इस बदलाव के लिए वे लायसेंस प्राप्त करने के लिए

नया आवेदन प्रस्तुत करेंगे. प्रावधान है कि, अध्यक्ष की मंजूरी से यातायात प्रबंधक इस प्रकार के नये आवेदन पर लिये निर्णय के अनुसार फर्म अथवा कम्पनी को उस तिथि तक अपना कारोबार करने की अनुमति देंगे तथापि ऐसे मामले में जारी करने के लिए अपेक्षित नया लायसेंस प्रभार मूल लायसेंस जारी करने के लिए देय प्रभार के समान होगा.

9. अध्यक्ष स्टीविडोर द्वारा स्टीविडोरिंग लायसेंस के नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकार को सूचित करेंगे और वे स्टीविडोर को जारी किये गये लायसेंस को कम से कम तीन तहीने उसकी जाँच के लिए रोक अथवा निलंबित कर सकते है, अगर वह ऐसा पाता है कि पोर्ट के हित में ऐसा करना व्यावहारिक और आवश्यक है.

10. अध्यक्ष किसी भी समय लायसेंस के किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए स्टीविडोर को जारी लायसेंस को उचित लगे समय तक अथवा नीचे सूचीबघ्द कारणों के लिए निलंबित अथवा रद्द कर सकता है, यदि –

(i) संरक्षा विनियमों एवं अनिवार्य डॉक संरक्षा उपायों का उल्लंघन होता है;

(ii) फर्म पोर्ट द्वारा निर्धारितनुसार अधिकतम अपेक्षित उत्पादन/निर्धारित पॅरामीटर से कम सम्हलाई करती है ;

(iii) स्टीविडोर काम पर पर्यवेक्षण की अनदेखी पर;

(iv) पॅकेजों की अनुचित और असुरक्षित सम्हलाई पर;

(v) वास्तविक तथ्यों की गलत प्रस्तुती और गलत विवरण पर;

(vi) स्टीविडोर दिवालिया घोषित होने अथवा समापन की दशा में जाने पर जिससे पोर्ट में किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो;

(vii) किसी अन्य व्यक्ति अथवा पार्टी को स्टीविडोर प्रचालन स्थानान्तरित करने अथवा लायसेंस किराये पर देने पर.

(viii) किसी का नाम बताकर गैर कानूनी पारितोषिक राशि का भुगतान करने अथवा कामगारों को गैर कानूनी तरीके से बहकाने पर.

(ix) कोई दुराचार जिससे बोर्ड को लगे कि इस प्रकार लायसंस रद्द करना अथवा निलंबन आवश्यक है.

(x) ISPS कोड के अनुपालन आदि जैसे नियमों एवं अनुदेशों से संबंधित सुरक्षा का उल्लंघन.

(xi) गैर कानूनी/ ᐟष्ट कार्य में लिप्त होने पर.

(xii) स्टीविडोर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नैतिक दुराचरण में शामिल किसी अपराध के लिए कोर्ट द्वारा सजा दी गयी हो, जिससे कम से कम 6 महिनें की सजा और सजा समाप्ति की तिथि से कम से कम पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो, शर्त है कि कोई भी लायसंस रद्द अथवा निलंबित नहीं किया जाएगा जबतक की लायसंस धारक को यह कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो कि क्यों न उनका लायसंस रद्द अथवा निलंबित, जैसा मामला हो, किया जाएँ.

11. लायसंस प्रदान करने के बाद रद्द हो सकता है. यदि यह अनुसंधान में आया कि लायसंस के लिए आवेदन में वास्तविक तथ्यों की गलत प्रस्तुती है अथवा यदि लायसंसधारी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा समाप्त हो गया हो, जैसा मामला हो.

12. इन विनियमों के प्रभाव में आने पर बम्बई पोर्ट ट्रस्ट डॉक उप–नियम की डॉक उप–नियम सं.66, 66ए और 67 समाप्त हो जायेगी.

13. अपील

(1) इन विनियमों के अधीन किसी आदेश से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो तो वह उसके विरुध्द आदेश की सूचना के तीस दिनों के अन्दर लिखित रुप से अध्यक्ष अथवा किसी अन्य उच्च प्राधिकारी को अपील कर सकता है.

(2) अध्यक्ष अथवा कोई अन्य उच्च अधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद जैसा उसे उचित लगेगा अपील पर उचित आदेश पारित करेगा.

(3) उप विनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी, तीस दिन की अवधि के बाद भी कोई अपील स्वीकृत की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता अध्यक्ष अथवा किसी अन्य उक्त अधिकारी को यह संतुष्ट करा सके कि, उसके पास इस अवधि में आवेदन न कर पाने के पर्याप्त कारण थे.

14. पोर्ट /डॉक लेबर बोर्डों/लाइसेंस धारकों अथवा बाहर से मजदूरों की तैनाती.
ऐसे मामले में जहाँ पोर्ट स्टीविडोर द्वारा रखी गई आवश्यकता के अनुसार आवश्यक मजदूरों की पूर्ति नहीं कर सकेगा, तब पोर्ट इसके लिए स्टीविडोर को अपनी स्वतः की व्यवस्था करने के लिए अनुमति दे सकता है, बशर्ते, अन्य बातों के साथ साथ, बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय समय पर तय नियत न्यूनतम मजदूरी का भूगतान करने के लिए सहमत हों.

15. प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक का प्रयोग.
स्टीविडोर गतिविधियों के लिए तैनात कार्मिकों को पोतभार सम्हलाई के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता, कार्यकुशलता तथा सुरक्षा में सुधार हो सके.

16. इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, स्टीविडोर लाइसेंस जो इन संशोधित विनियमों के जारी होने की तिथि को प्रभावशील रहे होंगे उन्हें इन विनियम के तहत जारी किया गया माना जायेगा तथा ऐसे लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक वैद्य रहेंगे.

17. निरसन तथा बनाये रखना.
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोर्स को लाइसेंस देना तथा संबध्द मामले) संशोधन विनियम, 1989 के साथ पठित बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोरों को लाइसेंस देना तथा सबंध्द मामले) विनियम, 1979) (1) एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं. इस निरसन में किसी बात के होते हुए भी, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोरों को लाइसेंस देना तथा सबंध्द मामले) विनियम, 1979 तथा बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोर को लाइसेंस देना तथा संबध्द मामले) संशोधन विनियम, 1989 के तहत कुछ भी किया गया हो अथवा कोई कार्रवाई की गई हो तो वह इन विनियमो के सदृश्य (अनुरुप) प्रावधानों के तहत की गई अथवा ली गई है ऐसा माना जायेगा.

फार्म "ए"

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

(देखें विनियम 6(i))

स्टीविडोर लाइसेंस प्रदान करने/नवीनकरण का आवेदन

1. फर्म/व्यक्ति का नाम (नये लाइसेंस प्रदान करने हेतु : स्वामित्व/ साझेदरी के अंतर्नियम प्रस्तुत किये जाये)
2. पूर्ण पता :
3. वर्ष जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है. :
4. क्या आवेदक ने जलयान मालिकों/पोत चार्टरों/ इस पोर्ट में आनेवाले जहाजों के स्टीविडोरिंग के पोत के पोतभार के मालिक के साथ अनुबंध किया है (अनुबंध की अवधि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए.
5. वित्तीय सामर्थ (नये लाइसेंस प्रदान करने के मामलों में उनके बैंकरों से श्रमिकों को मजदूरी तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम आदि के तहत क्षतिपूर्ति संबंधी अपना दायित्व पूरा करने के लिए वित्तीय सामर्थ का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा).
6. क्या आवेदक विनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम : गीअर प्राप्त करने/रखने के लिए तैयार है (न्यूनतम गीअर की सूची दी जाए).
7. क्या आवेदक विनियमों के तहत निर्धारित ऐसे : न्यूनतम कर्मचारी नियुक्त करने के लिए तैयार है/ उसके पास नियुक्त हैं (आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी संलग्न सूची में दिये गये है. नियुक्त कर्मचारियों का विवरण दिया जाए).
8. इस क्षेत्र में पिछला अनुभव :
9. क्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ आवेदक द्वारा किये : गये लेन–देन के सभी देयताओं का निपटान किया गया है. (अनुमति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाय).
10. क्या लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया है. : यदि हां, तो रसीद प्रस्तुत की जाय (नवीकरण के मामले में नियमों के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान अग्रिम तौर पर किया जाय).

मै, नये स्टीविडोरिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क सूचना मिलने पर अदा करने के लिए सहमत हूँ.

यदि लाइसेंस प्रदान/नवीकृत किया जाता है तो मै, निर्धारित विनियमों, नियमों तथा शर्तों को मानने अथवा मुंबई पोर्ट टस्ट द्वारा समय–समय पर जारी किसी भी अन्य निदेशों का अनुपालन करुंगा.

____

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : मुंबई

दिनांक :

(ए) लाइसेंस प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी अथवा रिकार्ड आवेदक द्वारा देने/प्रस्तुत करने होंगे.

(बी) लाइसेंस प्रदान करना पूर्णतः मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के विवेकाधिकार पर होगा.

(सी) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पहले आवेदक को मद (6) तथा (7) की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.

(डी) नये लाइसेंस प्रदान करने अथवा लाइसेंस का नवीकरण का आवेदन करते समय, आवेदक उन शब्दों/लाइनों पंक्तियों को काट दे तो लागू न हो.

फॉर्म बी

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

(विनियम 6(iii) देखें)

गोदियों में स्टीविडोर जहाजों को अनुज्ञापत्र

अहस्तान्तरणीय

वर्ष 20.........20

क्रमांक ....

यह सूचित किया जाता है कि.. फर्म के नाम से कारोबार चलाने वाले ....को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोरों को अनुज्ञापत्र प्रदान करना और संबंध्द मामले) संशोधन विनियम 2012 के अनुसार अध्यक्ष मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने दिनांक .... तक मालों को उतारने, रखने, भरने और उसे खाली करने के लिए समय समय पर लागू गोदी विनियमों के अनुपालन एवं उनकी शर्तोंपर और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोरों को अनुज्ञापत्र प्रदान करना और संबंध्द मामले) संशोधन विनियम 2012 के प्रावधानों पर तथा नीचे दी गयी शर्तों पर स्टीविडोर के रुप में अनुज्ञापत्र प्रदान कियाहै.

यातायात प्रबंधक
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक :

शर्तें...................... नियोक्ता की हैसियत से स्टीविडोर्स, उनके पर्यवेक्षीय कर्मचारियों और कामगारों द्वारा किए खराब निष्पादन/भ्रष्टाचार/उपकरण के लिए जिम्मेदार होगे. गोदी विनियमों, स्टीविडोरींग विनियमों के किसी भी उपबन्धों के उल्लंघन अथवा उपेक्षा की गंभीरता से जाँच की जाएगी और निलंबन अनुज्ञापत्र हटा लेना जैसे दंड लगाये जाएंगे.

2. बाल रोजगार अधिनियम, 1938 और फैक्टरी अधिनियम 1948, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम 1986, और समय समय पर गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम 1990, के अंतर्गत बालिगों /नौजवानों को नौकरी देने संबंधी उपबंधों का, जहाँ ये लागू होगें वहाँ उसका पूर्ण रुप से अनुपालन किया जाएगा.

3. अगर स्टीविडोर्स मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि नियमों के अनुसार भविष्य निधि में उनके अंशदान के भुगतान में बकाया करता है अथवा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से कामगारों की माँगपत्र से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन करता है. अथवा संबंधित श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन संशोधन समिति के न्यूनतम वेतनमानों की अपेक्षा कम दर से मजदूरी अदा करता है अथवा गीयर के प्रयोग से संबंधित यातायात प्रबंधक अथवा उनके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी की सूचनाओं का उल्लंघन करता है अथवा कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार जोखिमी माल के निपटान के लिए कामगारों/पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को संरक्षी उपकरण मुहैय्या कराने में असफल होता है तो उसका अनुज्ञापत्र रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकता है.

4. अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा समय समय पर तय किए गए मॅनिंग स्केल के आधार पर उन्होंने अपने नामावली में न्यूनतम पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को तैनात किया है. युनियन और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बीच समय समय पर हुए करार के अनुसार वह कामगारों और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को तैनात करेगा.
5. स्टीविडोर्स जहाजों को खाली करने और उसे भरने के संबंध में पोर्ट द्वारा समय समय पर तय किए गए मानकों का अनुपालन करेंगे.
6. अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि माल चढाने और उतारने के सभी प्रचालन निर्धारित / उचित गीयर के साथ ही किए जाय और प्रत्येक स्टीविडोर द्वारा निपटाए जानेवाले माल/पोतभार के प्रकार के आधार पर नियम मानकों के अनुसार वे न्यूनतम गीयर एवं उपकरणों से सुसज्ज हों. दोषपूर्ण गीयर के इस्तेमाल से होनेवाली किसी दुर्घटना अथवा नुकसान के लिए वे जिम्मेदार ठहराये जाएंगे.
7. अनुज्ञापत्रधारी यातायात प्रबंधक द्वारा सुरक्षितता, उत्पादकता सुधार, अनुशासन और प्रचालन कार्य कुशलता के हित में समय समय पर जारी किए गए अनुदशों का अनुपालन करेगा.
8. यातायात प्रबंधक द्वारा तय किए गए उत्पादकता संबंधी मानकों से कम निष्पादन होने पर जहाजों को गोदियों से बाहर किया जाएगा और आगे अनुज्ञापत्रधारी के विरुध्द दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. अनुज्ञापत्रधारी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (स्टीविडोरों को अनुज्ञापत्र जारी करना और संबध्द मामले) संशोधन विनियम 2012 के उपबधों का कड़ाई से अनुपालन करेगा.

यातायात प्रबंधक
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक :

....

मुंबई पोर्ट ट्स्ट के न्यासी मंडल के आदेशानुसार

हस्ता0
पी. मोहनचंद्रन
सचिव